

21/10

एस डी ओ/रीडर

प्रायोजन कार्यक्रम को शुरू में पेशा हुआ। वास्तु शिल्पकारों को उपा
गोपनीयता का वादा किया जाता है। विशेष रूप से
से वास्तुकारों को प्रोत्साहित किया। प्रायोजन कार्यक्रम
द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रायोजन कार्यक्रम
को शुरू करने से पहले इसे शुरू करने के लिए प्रायोजन को शुरू
करना होगा।

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

पीठासीन अधिकारी श्री विश्वा मिश्र श्रीमती R.A.S

उनवान विशम्बर बनाना केम्पकासिम

दावा बाबत:- 188 R.T. Act

मुकदमा नम्बर:- 320/14

निर्णय दिनांक:- 21.5.18

वादी की ओर से श्रीमती श्रीमती की व प्रतिवादी की ओर से श्रीमती श्रीमती (नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम की उपस्थिति में आज तारीख 21.5.18 को निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिग्री दी जाती कि -

विवाहिक सम्पत्ति दल सुनाना 510/0.03, 511/0.09 वीचा वार्ड ग्राम अकडवा तहसील कोटकासिम में वादीगण का वधु डिग्री देखा गया है प्रतिवादीगण को दस्तावेजों गड्ड एवम् से पावन्द देखा गया है कि मन्दा की डोग को विशम्बर नाकरे ना के मन्दा डोग में कचेरा पराम डिग्री देखा गये ना है आदमी को कोसी गड्ड को एवम् श्रीमती को दस्तावेज देखा गये कायम रहे।

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे ।
यह आज तारीख 21.5.18 को मौ हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(विश्वा मिश्र श्रीमती R.A.S)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर ,कोटकासिम

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
------	-----------